न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर संख्या :-410/2019

ओबरा थाना कांड संख्या :-126/2019

01.10.2019 आवेदक मोटरसाईकिल निवंधन संख्या-BR26L8363 का स्वामी शिव जनम कुमार की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता दिनांक-06.08.2019 को दाखिल आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त जप्त मोटरसाईकिल निबंधन सं0-BR26L8363 ओबरा थाना द्वारा जप्त किया गया है । उक्त वाहन का स्वामी उक्त आवेदक है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त मोटरसाईकिल निबंधन सं0-BR26L8363 ओबरा थाना में जप्त है । उक्त वाहन से सम्बन्धित जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि ''जब तक जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद से उक्त वाहन का सत्यापन नही होता है तब तक अनुसंधान में मोटरसाईकिल की आवश्यकता है ।'' उक्त वाहन से सम्बन्धित स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-683/परि0 दिनांक-07.09.2019 के तहत समर्पित किया गया है, जिसके उपरांत पुनः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-24.09.2019 के तहत सम्बन्धित थानाध्यक्ष ओबरा को निर्देश दिया गया कि उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा समर्पित किया गया है । अतः दिनांक-01.10.2019 तक इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही लेकिन सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नही किया गया है, जिससे यह विदित होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है । उक्त वाहन का जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का स्वामी का नाम शिव जनम कुमार, निबंधन संख्या-BR26L8363, इंजन संख्या-JA06EPH9C02752, चेसिस संख्या-MBLJA06AXH4C02878 है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं बीमा की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या, चेसिस संख्या, इंजन संख्या, स्कीन प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त मोटरसाईकिल का दुरूस्ती की वैधता दिनांक-04.06.2032 तक, कर की वैधता एकमुश्त कर दी गई है एवं बीमा की वैधता दिनांकः-03.07.2020 की मध्य रात्रि तक है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है। उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखाते हुए आवेदक शिव जनम कुमार के पक्ष में उक्त जप्त मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR26L8363, इंजन संख्या-JA06EPH9C02752, चेसिस संख्या-MBLJA06AXH4C02878 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में आवेदक शिव जनम कुमार के पक्ष में उक्त मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR26L8363 को मो0-1,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक एवं बीमा की प्रति की छायाप्रति, जो गजटेड पदाधिकारी/ नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें। आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी

लगातार

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर संख्या :-410/2019

ओबरा थाना कांड संख्या :-126/2019

लगातार

01.10.2019 दाखिल करेगा कि उक्त वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप-स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ओबरा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।